


कार्यालय-जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)

निविदा आमंत्रण सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल स्थित एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क खोले जाने हेतु आगामी एक वर्ष के लिये मासिक किराये पर प्रदान किया जाना है। उक्त दुकान मासिक किराये पर लिए जाने हेतु इच्छुक संस्थाओं, व्यक्तियों एवं कंपनियों से निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा की शर्तों संबंधी निविदा प्रलेख उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर उपलब्ध है। इच्छुक संस्थाएँ/व्यक्तियों/कंपनियां अपना आवेदन निविदा शर्तों के संबध में सहमति दर्शाते हुए दिनांक 04/01/2022 को दोपहर 1.00 बजे तक रजिस्ट्रार कार्यालय, जिला न्यायालय, भोपाल में जमा कर सकते हैं। निविदा दिनांक 05.01.2022 को सांयकाल 5.00 बजे आवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी। निविदा प्रलेख/आवेदन राशि रूपये 100/- नगद जमा करने पर, नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय, भोपाल से दिनांक 04/01/2022 तक कार्यालयीन समय पर प्राप्त किए जा सकेंगे।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म.प्र.)


कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)

निविदा-प्रलेख

जिला न्यायालय परिसर भोपाल में स्थित दुकान क्रमांक-3 एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क खोले जाने हेतु आगामी एक वर्ष के लिये मासिक किराये पर प्रदान करने हेतु निम्न शर्तों के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती है।

01. जिला न्यायालय परिसर स्थित दुकान क्र. 3 हेतु रु. **50,000/-** (पचास हजार रुपए) की एफ.डी.आर प्रधान जिला न्यायाधीश, भोपाल के नाम से सुरक्षा निधि के रूप में एक वर्ष की अवधि के लिए उक्त दुकान मासिक किराये पर आवंटित होने पर प्रस्तुत करना होगी।
02. प्रीमियम राशि (मासिक किराया) की न्यूनतम दर राशि रुपए 12,500/- प्रति माह प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अग्रिम देय होगी तथा निरन्तर तीन माह तक किराया जमा नहीं करने की दशा में सुरक्षा निधि जप्त कर वसूल की जाएगी तथा अनुबंध/ठेका तत्काल निरस्त किया जाएगा।
- 03- व्यवसायिक प्रतिष्ठान लायसेंस के रूप में विशिष्ट कार्य हेतु एक वर्ष के लिए दिया जाएगा तथा प्राप्त निविदाओं में से जो सबसे उच्चतर की निविदा होगी उसे मान्य किया जाएगा।
04. निविदा मंजूर होने के पश्चात स्वीकृत निविदाकर्ता द्वारा फोटोकापी/कम्प्यूटर टाइपिंग/स्टेशनरी का कार्य ही संचालित किया जावेगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी तरह का कार्य किए जाने पर स्वीकृत निविदा तत्काल निरस्त कर दी जावेगी।
05. विकलांग/विधवा/परित्यक्ता/सशस्त्र बल के सेवानिवृत्त सदस्यों तथा अनुभव प्राप्त बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
06. प्रतिष्ठान का पंजीयन नगर निगम, भोपाल संस्थापना अधिनियम के अंतर्गत कराना आवश्यक होगा।
07. व्यवसायिक प्रतिष्ठान के संचालक यदि कोई कर्मचारी नियुक्त करते हैं तो उन्हें श्रम विधियों के समस्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
08. व्यवसायिक प्रतिष्ठान में ऐसी कोई भी गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे कि शासकीय सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित होती हो।

09. व्यवसायिक प्रतिष्ठान का व्यवसाय न्यायालयीन कार्य दिवस समय में ही किया जाएगा।
10. प्रधान जिला न्यायाधीश, भोपाल का एकमात्र विवेकाधिकार आवंटन के संबंध में अंतिम होगा।
11. व्यवसायिक प्रतिष्ठान उन्हें आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार का स्थाई निर्माण/संरचना नहीं करेंगे तथा अस्थायी निर्माण नहीं करेंगे जो शासकीय सम्पत्ति को क्षति कारित करता हो।
12. व्यवसायिक प्रतिष्ठान में ऐसा अस्थायी निर्माण जो कि व्यवसाय के संचालन में आवश्यक है, पूर्व में जिला न्यायाधीश को प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुए अनुमोदित कराने के उपरांत ही कर सकेंगे।
13. व्यवसायिक प्रतिष्ठान हेतु आवंटित स्थान को साफ-सुथरा तथा प्रदूषण से मुक्त रखेंगे तथा किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र या आडियो सिस्टम का उपयोग नहीं करेंगे।
14. आवंटित व्यवसायिक प्रतिष्ठान को किसी अन्य को आवंटित नहीं कर सकेंगे।
15. उक्त दुकान संचालक को स्वयं के व्यय पर विद्युत मीटर एवं जल कनेक्शन प्राप्त करना होगा।
16. निविदा की शर्तों संबंधी निविदा प्रलेख मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर उपलब्ध है।
17. प्रधान जिला न्यायाधीश, भोपाल को यह अधिकार होगा कि व्यवसायिक प्रतिष्ठान को दिए गए लायसेंस किसी भी समय बिना कारण बताए एक माह का नोटिस देकर निरस्त कर दे और उस दशा में ऐसे आवंटितों को एक माह की अवधि में व्यवसायिक प्रतिष्ठान हटाना होगा अन्यथा जिला न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि ऐसे स्थान को रिक्त करा ले।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म0प्र0)